

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

04 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018

16.01.2018

28.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री छुट्टन लाल शर्मा पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स खाण्डल स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड़ तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी पावर हाउस के सामने डिग्गी नुक्कड़ तह. मालपुरा जिला टोंक राज.

2-मैसर्स खाण्डल स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड़ तह. मालपुरा जिला टोंक राज.
..... अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार उप.।

2-अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:-निर्णय:-

दिनांक 28.07.2022


संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2017 को समय 01:07 पीएम पर मैसर्स खाण्डल स्वीट एण्ड नमकीन भण्डार डिग्गी नुक्कड़ तह. मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहाँ पर श्री छुट्टन लाल शर्मा पुत्र श्री बंशी लाल शर्मा मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री छुट्टन लाल शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य मिठाईयों के साथ स्टील की ट्रे में लगभग 3-4 किलोग्राम सोन पपडी (Soan Papdi) रखी हुई थी जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री छुट्टन लाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री छुट्टन लाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सोन पपडी (Soan Papdi) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम सोन पपडी (Soan Papdi) को हिला मिलाकर एकरूप कर चार खाली साफ व सूखी कांच की शिशियों में 500-500 ग्राम भरा एवं प्रत्येक कांच की शिशी में 40-40 बूंदें 40 प्रतिशत विलयन वाली फार्मलिन बतौर



1917


आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

परिक्षक डालकर प्रत्येक कांच के जार के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1787 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिफ नं. आई-1787 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिफ व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4794 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स. एल.एस./785/एक्ट/2017/785 दिनांक 04.12.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया सोन पपडी (Soan Papdi) अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 06.11.2018 को श्री प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी को कई अवसर देने के बावजूद भी कोई जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सोन पपडी (Soan Papdi) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सोन पपडी (Soan Papdi) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में



संबधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।
निर्णय आज 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(पर्यायतः धानकरी)
अतिरिक्त जिला न्यायालय
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0